



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 11.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 707/23 धारा 364/307/504/342 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गाडी वैगनआर नं0 DL-12CH-2313 व एक लकड़ी की हॉकी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 10.09.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी आमिर पुत्र कल्लू निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों निवासीगण ग्राम सिसाना द्वारा उसके भाई



सुल्तान के साथ गाली-गलौच कर वैगनआर गाडी में डालकर ले गये व धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से मारपीट की । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 707/23 धारा 364/307/504/342 भादवि पंजीकृत किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 707/23 धारा 364/307/504/342 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गाडी वैगनआर नं0 DL-12CH-2313 व एक लकड़ी की हॉकी बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-तरुण पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-अरुण पुत्र रिषिपाल निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-सचिन कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-जोनी सिंह पुत्र कुलबीर सिंह निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक गाडी वैगनआर नं० DL-12CH-2313
- एक लकड़ी की हॉकी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत।
- 2-उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 3-म०उ०नि० श्रीमती सरिता सिंह थाना कोतवाली बागपत।
- 4-है०का० 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 5-है०का० 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 6-का० 421 अंकुल कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 7-का० 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत।
- 8-का० 293 अनुज कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक- 11.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 649/23 धारा 307/381 भादवि से सम्बन्धित
एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 11.09.2023 को थाना बडौत पर वादी अंकित पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत ने सूचना दी कि मेरे भट्टे पर मुनीम बिजेन्द्र पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम हजूरबाद गढी थाना सिंघावली अहीर हाल पता इन्द्राकालोनी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत रात में चोरी छुपे ईंटें बेचता है । दिनांक 10.09.2023 को बिजेन्द्र अपने साथी तौसीफ पुत्र निजामू निवासी ग्राम पावी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के साथ उसके भट्टे से ईंट चोरी करवा रहा था, जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया तो उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । वादी द्वारा



जनता की मदद से अभियुक्त तौसीफ को पकडकर थाना बडौत पर लाया गया । घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त एक ट्रक नं० UP14-KT-6614 व मो०सा० सुपर स्प्लेण्डर UP12-AM-8448 बरामद हुई है । थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 649/23 धारा 307/381 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तौसीफ पुत्र निजामू निवासी ग्राम पावी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की घटना में प्रयुक्त एक ट्रक नं० UP14-KT-6614
- मो०सा० सुपर स्प्लेण्डर UP12-AM-8448

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है०का० 571 रविन्द्र कुमार थाना बडौत ।

2-का० 712 विनय कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक:- 11.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव पुत्र मामचन्द निवासी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित चौहान थाना बडौत ।
- 2-का0 142 दीपक कुमार थाना बडौत ।
- 3-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 11.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 373/2023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 बाल अपचारी सहित अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 05 स्टूल, 02 कुर्सी, 02 सेक्शन मशीन व 02 सीढी लोहे धातु के (क्षतिग्रस्त) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10/09/2023 को थाना खेकडा पर वादी संजय कुमार पुत्र लेखराज पता ग्राम सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद फार्मसिस्ट P.H.C खेकडा ने सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा पीएचसी खेकडा से 02 सेक्शन मशीन, 02 कुर्सी, 06 स्टूल, 02 सीढी लोहे धातु के चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं 373/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 373/2023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 बाल अपचारी सहित अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 05 स्टूल, 02 कुर्सी, 02 सेक्शन मशीन व 02 सीढी लोहे धातु के (क्षतिग्रस्त) बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शारूख पुत्र मुनव्वर निवासी नई बस्ती करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-02 बाल अपचारी।

बरामदगी का विवरण-

- 05 स्टूल।
- 02 कुर्सी।
- 02 सेक्शन मशीन।
- 02 सीढी लोहे धातु के (क्षतिग्रस्त)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री धर्मपाल शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-का0 911 श्यामवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-का0 1021 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।